


30.06.2026 वकिल प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकिल मय प्रार्थी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकिल व प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। विद्या प्रार्थी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

प्रावती फैसल सुमार होकर शाखिल इफ्तार हो।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालातरा